

अत्यावश्यक

—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर :-

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र.अ./डीपीसी 2018-19/2020

दिनांक 19.12.2020

—: सूचना :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद हेतु रिब्यू डीपीसी वर्ष 2013-14 से 2017-18, नियमित डीपीसी वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित कार्मिकों की अस्थाई वरीयता सूची विभागीय साईट पर अपलोड की जा चुकी है। चयनित कार्मिकों के पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैम्प (परामर्श शिविर) गोल बिल्डिंग, शिक्षा निदेशालय परिसर बीकानेर में आयोज्य है।

परामर्श कैम्प में शामिल होने वाले कार्मिक संलग्न सहमति पत्र एवं अपना फोटो युक्त आईडी0 आवश्यक रूप से साथ लेकर आयेगें। विशेष वर्ग के आशार्थी अपने विशेष वर्ग से सम्बन्धित दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां सहमति पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करेंगें एवं मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु परामर्श के समय प्रस्तुत करेंगें। विधवा एवं परित्यक्ता विशेष वर्ग की महिलाओं को अपने दस्तावेजों के साथ आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

काउंसलिंग कार्यक्रम

विवरण	चयनित कार्मिक	काउंसलिंग दिनांक	रजिस्ट्रेशन का समय	काउंसलिंग प्रारंभ होने का समय
प्रधानाध्यापक रिब्यू डीपीसी 2013-14 से 2017-18	संलग्न सूची अनुसार-92	22.12.2020	प्रातः 9.30 से 10.30 बजे तक	प्रातः 10.30 बजे से
प्रधानाध्यापक डीपीसी 2018-2019	संलग्न सूची अनुसार -69	22.12.2020	अपरान्ह 12.30 से 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से
प्रधानाध्यापक डीपीसी 2019-2020	संलग्न सूची अनुसार - 202	23.12.2020	प्रातः 9.30 से 10.30 बजे तक	प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक दो चरणों में

नोट:-रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने के उपरान्त उपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्मिलित किया जा सकेगा। समस्त अभ्यर्थी/कार्मिक कोविड गाइडलाईन का पालन अवश्य करें।

www.rajsevak.com

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

अत्यावश्यक

—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर :-

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र.अ./रिव्यू डीपीसी 13-14रो17-18/2020

दिनांक 19.12.2020

—: सूचना :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि की रिव्यू डीपीसी वर्ष 2013-14 से 2017-18 हेतु चयनित आशार्थियों की सूची में शामिल कार्मिकों के पदस्थापन प्रधानाध्यापक मावि पदों पर करने हेतु काउंसिलिंग की वरीयता निर्धारण की जानी है। इस हेतु निम्नांकित विशेष वर्ग की जानकारी अपेक्षित है। सूची में शामिल वे आशार्थी अपना प्रपत्र भर कर भेजेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन में कोई स्थान अंकित नहीं है तथा वे भी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हुआ है। जिन आशार्थियों की सूचना सही है तथा नीचे अंकित विशेष वर्ग क्रम सं० 1 से 5 व 7 में शामिल नहीं है उन्हें प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष वर्ग क्रम सं० 6 में उन महिलाओं को ही प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता है जिनका चयन सूची में वर्ग परिवर्तन हुआ हो।

सूची में शामिल आशार्थी यदि वर्तमान में उच्च पद/अन्य पद पर/प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है तो वे भी इस संबंध में सूचना विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

सूची में शामिल आशार्थी वर्तमान में सूची में उल्लिखित मंडल/जिला की वरिष्ठता धारित नहीं करते हैं तो वे भी दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com पर वर्तमान वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष अंकित करते हुए सूचित करावें।
विशेष वर्ग:-

1. 70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।
2. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा)।
3. विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।
4. परित्यक्ता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)।
5. एकल महिला अभ्यर्थी(शपथ पत्र)।
6. महिला।
7. भूतपूर्व सैनिक।

कार्मिकों की संलग्न सूची में यदि उपर्युक्त उल्लिखित विशेष वर्ग (उपर्युक्तानुसार) में हैं, तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना दिनांक:-20 दिसम्बर 2020 (सांय 5 बजे तक) विभागीय ई मेल आई. डी.- absecsecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें। इसके बाद प्राप्त ई-मेल स्वीकार्य नहीं होंगे। उपर्युक्त उल्लेखित विशेषवर्ग (1 से 5 एवं 7) के चयनित कार्मिक ही संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवायेगें एवं वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेंगे।

असाध्य रोग में सिर्फ कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण(नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्मिक ही आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर उसे विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जावेगा।

अत्यावश्यक**—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर :—**

कमांक:—शिविरा / माध्य / संस्था / बी-1 / 45001 / प्र.अ. / डीपीसी 18-19 / 2020

दिनांक 19.12.2020

—: सूचना :—

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि की डीपीसी वर्ष 2018-19 हेतु चयनित आशार्थियों की सूची में शामिल कार्मिकों के पदस्थापन प्रधानाध्यापक मावि पदों पर करने हेतु काउंसिलिंग की वरीयता निर्धारण की जानी है। इस हेतु निम्नांकित विशेष वर्ग की जानकारी अपेक्षित है। सूची में शामिल वे आशार्थी अपना प्रपत्र भर कर भेजेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन में कोई स्थान अंकित नहीं है तथा वे भी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हुआ है। जिन आशार्थियों की सूचना सही है तथा नीचे अंकित विशेष वर्ग क्रम सं० 1 से 5 व 7 में शामिल नहीं है उन्हें प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष वर्ग क्रम सं० 6 में उन महिलाओं को ही प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता है जिनका चयन सूची में वर्ग परिवर्तन हुआ हो।

सूची में शामिल आशार्थी यदि वर्तमान में उच्च पद/अन्य पद पर/प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है तो वे भी इस संबंध में सूचना विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

सूची में शामिल आशार्थी वर्तमान में सूची में उल्लिखित मंडल/जिला की वरिष्ठता धारित नहीं करते हैं तो वे भी दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com पर वर्तमान वरिष्ठता कमांक एवं वर्ष अंकित करते हुए सूचित करावें। विशेष वर्ग:—

1. 70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।
2. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा)।
3. विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।
4. परित्यक्ता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)।
5. एकल महिला अभ्यर्थी(शपथ पत्र)।
6. महिला।
7. मृतपूर्व सैनिक।

कार्मिकों की संलग्न सूची में यदि उपर्युक्त उल्लिखित विशेष वर्ग (उपर्युक्तानुसार) में हैं, तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना दिनांक:—20 दिसम्बर 2020 (सांय 5 बजे तक) विभागीय ई मेल आई. डी.— absecsecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें। इसके बाद प्राप्त ई-मेल स्वीकार्य नहीं होंगे। उपर्युक्त उल्लेखित विशेषवर्ग (1 से 5 एवं 7) के चयनित कार्मिक ही संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवायेगें एवं वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेंगे।

असाध्य रोग में सिर्फ कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण(नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्मिक ही आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर उसे विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जावेगा।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

अत्यावश्यक

—: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर :-

कमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/प्र.अ./डीपीसी 19-20/2020

दिनांक 19.12.2020

—: सूचना :-

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाध्यापक-मावि की डीपीसी वर्ष 2019-20 हेतु चयनित आशार्थियों की सूची में शामिल कार्मिकों के पदस्थापन प्रधानाध्यापक मावि पदों पर करने हेतु काउंसिलिंग की वरीयता निर्धारण की जानी है। इस हेतु निम्नांकित विशेष वर्ग की जानकारी अपेक्षित है। सूची में शामिल वे आशार्थी अपना प्रपत्र भर कर भेजेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन में कोई स्थान अंकित नहीं है तथा वे भी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे जिनके वर्तमान पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हुआ है। जिन आशार्थियों की सूचना सही है तथा नीचे अंकित विशेष वर्ग कम सं० 1 से 5 व 7 में शामिल नहीं है उन्हें प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष वर्ग कम सं० 6 में उन महिलाओं को ही प्रपत्र भर कर भिजवाने की आवश्यकता है जिनका चयन सूची में वर्ग परिवर्तन हुआ हो।

सूची में शामिल आशार्थी यदि वर्तमान में उच्च पद/अन्य पद/प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है तो वे भी इस संबंध में सूचना विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

सूची में शामिल आशार्थी वर्तमान में सूची में उल्लिखित मंडल/जिला की वरिष्ठता धारित नहीं करते हैं तो वे भी दिनांक 20.12.2020 को सांय 5 बजे तक विभाग की मेल आईडी absecsecedu@gmail.com पर वर्तमान वरिष्ठता कमांक एवं वर्ष अंकित करते हुए सूचित करावें।
विशेष वर्ग:-

1. 70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।
2. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण (नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा)।
3. विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।
4. परित्यक्ता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)।
5. एकल महिला अम्यर्थी(शपथ पत्र)।
6. महिला।
7. भूतपूर्व सैनिक।

कार्मिकों की संलग्न सूची में यदि उपर्युक्त उल्लिखित विशेष वर्ग (उपर्युक्तानुसार) में हैं, तो वे संलग्न प्रारूप में सूचना दिनांक:-20 दिसम्बर 2020 (सांय 5 बजे) तक ई मेल आई.डी.-absecsecedu@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवावें। इसके बाद प्राप्त ई-मेल स्वीकार्य नहीं होंगे। उपर्युक्त उल्लेखित विशेषवर्ग (1 से 5 एवं 7) के चयनित कार्मिक ही संलग्न प्रारूप में सूचना भिजवायेगें एवं वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात भी आवश्यक रूप से प्रारूप के साथ संलग्न करेंगे।

असाध्य रोग में सिर्फ कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण(नियमित डायलिसिस) एवं हृदय शल्य चिकित्सा से संबंधित कार्मिक ही आवेदन प्रस्तुत करें। विशेष वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर उसे विशेष वर्ग में शामिल नहीं किया जावेगा।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर

—: सूचना प्रारूप :-
(प्रधानाध्यापक-डीपीसी 2019-2020 हेतु)

01. कार्मिक का नाम मय पद:-
02. कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन:-
03. पदोन्नति पद :- प्रधानाध्यापक
04. वरिष्ठता क्रमांक एवं डीपीसी वर्ष :-
05. विशेष वर्ग जिससे संबंधित हैं चिन्हित (√) करें:-

1. 70 प्रतिशत से अधिक, दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति प्रमाण पत्र सहित।
2. असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, नियमित डायलिसिस एवं हृदय शल्य चिकित्सा)।
3. विधवा महिला (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)।
4. परित्यक्ता महिला (सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री की प्रति)।
5. एकल महिला अभ्यर्थी(शपथ पत्र)।
6. महिला अभ्यर्थी।
7. भूतपूर्व सैनिक।
8. पुरुष अभ्यर्थी।

➤ प्रमाण पत्र संलग्न करें।

हस्ताक्षर
(नाम मय पदस्थापन)